135

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

नवीन प्र० 648/17

प्रकरण क्रमांक /२०१७ निगरानी P 648-I-17

कीर्ति शाह पुत्र शांतिलाल शाह,
निवासी- मीलरोड, गंज बासौदा, तहसील-
बासौदा, जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

------- प्रार्थी

विरुध्द

अब्दुल सतार पुत्र ताहिर मोहम्मद,
निवासी- ग्राम हतोड़ा, तहसील बासौदा,
जिला विदिशा-मध्यप्रदेश ।

------- प्रतिप्रार्थी

श्री ... द्वारा आज दि. 15-2-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुध्द आदेश राजस्व निरीक्षक महोदय वृत्त-२ बासौदा, जिला विदिशा दिनांक २०-६-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९। प्र०क्र० न्यायालय तहसीलदार। कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल बासौदा के प्र०क्र० १०७/अ-१२/२०१५-१६ सीमांकन।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, प्रार्थी ग्राम हतोड़ा तहसील बासौदा जिला विदिशा, स्थित भूमि सर्वे क्रमांक २३२ के अंश भाग का भूमि स्वामी है । प्रतिप्रार्थी के अदिनांकित आवेदन-पत्र सीमांकन का जिस पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं है, के आधार पर सर्वे क्रमांक २३१/२/ख-रकबा ०.०५२ हेक्टेयर भूमि का सीमांकन आदेश कथित रूप से दिनांक १९-०५-१६ के व्दारा दिनांक १९-०६-१६ को विधि के प्रावधानों के विपरीत कथित रूप से कराके सीमांकन प्रकरण दि० २०-६-१६ को सीमांकन रिपोर्ट

135

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-648-एक/17 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	